भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3073

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करना

3073. श्री दुलू महतो:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झारखंड के धनबाद जिले में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को शामिल करने से इस योजना के कवरेज को बढ़ाने में मदद मिली है और यदि हां, तो संबंधित योजनाओं और प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को किन सुविधाओं से युक्त किया गया है और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने से धनबाद विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हुआ है; और

(ड.) क्या उक्त पहल से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज बढ़ाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रभाव क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): अंतरिम बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये के वार्षिक कवरेज देने की घोषणा की गई थी। यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यह योजना शीर्ष पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), राज्य में राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) और जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन इकाइयों (डीआईयू) के साथ त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। एबी-पीएमजेएवाई एक पात्रता आधारित योजना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने झारखंड सहित सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लगभग 8.15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान कार्ड तैयार किए हैं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली एनसीटी राज्यों में राज्य सरकारें एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रही हैं। पीएम-जेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं ,स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा [3-6 वर्ष] एवं आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे के घटकों को प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण वितरण के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत देश भर में 13.96 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के नेटवर्क के माध्यम से निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:

i. पूरक पोषण (एसएनपी),
ii. प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच,
vi. रेफरल सेवाएं

छह सेवाओं में से तीन, अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं एवं शौचालयों के लिए निधियन को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करना शामिल है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के अभिसरण में 10000 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रति वर्ष की दर से 50,000 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का प्रावधान है जिसमें मनरेगा के अंतर्गत 8 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (एफसी) (अथवा किसी अन्य अबद्ध निधि) के अंतर्गत 2 लाख रुपये तथा एमडब्ल्यूसीडी द्वारा 2 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित लागत भागीदारी अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किये जायेंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए गए हैं कि वे बिना पर्याप्त अवसंरचना के किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों को निकटवर्ती प्राथमिक स्कूलों, जहां स्थान उपलब्ध है, में सह-स्थापित करें।

उन्नत पोषण प्रदायगी तथा बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, जल शोधक/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एक कार्यकत्रीय वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों का एक कार्यकत्री तथा एक सहायिका वाले पूर्णरूपेण आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन किया जाए।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा वितरण के लिए स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। पोषण ट्रैकर जो एक मोबाइल एप्लिकेशन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटाइज़ करता है। यह उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करता है और साथ ही साथ उन्हें आंगनवाड़ियों में चल रही सभी गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति देता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों एवं ब्लॉक समन्वयकों को डाटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर हस्तक्षेप करने के लिए विकास मानदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैनोमीटर, स्टेडियोमीटर, वजन स्केल-शिशु, वजन मापने वाला पैमाना – मां और बच्चे जैसे विकास निगरानी उपकरणों से लैस किया गया है।

*****

अनुलग्नक

"एबी-पीएमजेएवाई के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को शामिल करने" के संबंध में श्री दुलू महतो द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3073 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएम-जेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्ड (एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच) लाभार्थियों की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	453
2	आंध्र प्रदेश	42523
3	अरुणाचल प्रदेश	1544
4	असम	59391
5	बिहार	68581
6	छत्तीसगढ़	67829
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	507
8	गोवा	629
9	गुजरात	49002
10	हरियाणा	17657
11	हिमाचल प्रदेश	8128
12	जम्मू एवं कश्मीर	34498
13	झारखंड	31755
14	कर्नाटक	48479
15	केरल	24444
16	लद्दाख	1449
17	लक्षद्वीप	64
18	मध्य प्रदेश	102411
19	महाराष्ट्र	70365
20	मणिपुर	5739
21	मेघालय	4523
22	मिजोरम	2376
23	नागालैंड	4591
24	पुदुचेरी	395
25	पंजाब	18481
26	राजस्थान	34874
27	सिक्किम	1227

28	तमिलनाडु	6990
29	तेलंगाना	15505
30	त्रिपुरा	7940
31	चंडीगढ़ - संघ राज्य क्षेत्र	370
32	उत्तर प्रदेश	65176
33	उत्तराखंड	18065
	कुल	**815961**

****